



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अरपताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-राईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656357 Fax 0291-2612086

क्रमांक: 137.(3)/नि.आ./जो.स्ट.स./का.वि./2023/270.

दिनांक: 16/06/2023

-कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन रत्तीय समिति की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 28.03.2023 को उपायुक्त (जोन-1) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपरिथित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं :—

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|----------------|---|
| 01. | राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 57 (पार्ट) के ले-आउट प्लान के संबंध में। |

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान व नवीन प्रस्तावित क्षेत्र के क्षेत्रफल विश्लेषण उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|----------------|--|
| 02. | राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 56/2, 56/3 व 56/4 के ले-आउट प्लान के संबंध में। |

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया—

- प्रश्नगत भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफटी कोरिडोर छोड़ा जाना जावे। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे।
- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण रक्कीर्ति प्राप्त की जानी होगी।
- ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, बाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- प्रश्नगत भूमि के समीप में पूर्व में अनुमोदित योजना 56/1 अनुसार अनुमोदित 18 मीटर सड़क को निरन्तरण रखा जावे।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|----------------|---|
| 03. | राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 108, 109 के ले-आउट प्लान के संबंध में। |

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त कृषि भूमि को छोड़ते हुए शेष भाग का क्षेत्रफल विश्लेषण करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

सह वक्तव्य समिक्षक (जोन 1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

SDR Z-L

नवनीत राज निवेदी
अधिकारी अधिकारी

नवनीत
उपायुक्त (जोन-1)
जोड़पुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निर्णय :-

| एजेंडा संख्या | विषय |
|---------------|---|
| 04. | राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 60, 61, 62/10 के ले-आउट प्लान के संबंध में। |

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. प्रश्नगत भूमि में सुनिश्चितता जोन द्वारा दी जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा दी जावें।
02. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंभित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
06. प्रस्तावित भूमि के मानचित्र में जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क का अंकन किया जावे।

| एजेंडा संख्या | विषय |
|---------------|---|
| 05. | राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 105, 102 के ले-आउट प्लान के संबंध में। |

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित मानचित्र में मौका स्थिति अनुसार खसरा संख्या 106, 107 को सम्मिलित करने व 60 प्रतिशत से अधिक बसावट होने से सर्वे के आधार पर मानचित्र अनुमोदन करने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

| एजेंडा संख्या | विषय |
|---------------|---|
| 06. | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 283/6, 285, 283/3, 283/4 के ले-आउट प्लान के संबंध में। |

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. मानचित्र में प्रश्नगत भूमि के पश्चिम दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान की 36 मीटर सड़क का अंकन किया जावे।
02. प्रश्नगत भूमि में सुनिश्चितता जोन द्वारा दी जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा दी जावें।
03. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
04. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
05. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
06. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंभित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

| एजेंडा संख्या | विषय |
|---------------|--|
| 07. | राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 57/2, 57/5, 57/6 के ले-आउट प्लान के संबंध में। |

संघ व्यवस्था विनियोजक (जोन 1)
जोधपुर ज़िला सभाधार्थिकरण
जोधपुर

TOE Z-1

नवमी लाल सुरेन्द्र विवेदी
आधिकारी अभियन्ता

नवला
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर
क्रमांक
प्रतिरिप्ति

निर्णय :- समिति द्वारा एजेंडा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रश्नगत भूमि के पहुंच मार्ग के संबंध में जोन स्तर से जांच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार
जोधपुर विकास प्राधिकरण

अधिशासी अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण
भारतीय अधिशासी अभियन्ता

सहायक नगर नियोजक

जोधपुर विकास प्राधिकरण

सहायक नगर नियोजक जोन स्तर से जांच उपरान्त प्रकरण

उपायुक्त (जोन-1)

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर

जोधपुर

16/6/2023

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/ २४५ - १७६ जोधपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर